अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय /विशेष न्यायालय (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया–कलाप निवारण अधिनियम 1986), कक्ष सं0–4, अलीगढ़

गैंगेस्टर सत्र वाद संख्या–1296/2021
राज्य बनाम सनी उर्फ प्रवीन व अन्य

<u>21–08–2024</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त नेत्रपाल द्वारा प्रस्तुत हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र पर सुना, स्वीकृत। अभियुक्त शिव कुमार शर्मा हाजिर, मामले के शेष अभियुक्तगण गैर हाजिर हैं।

मामले का अभियुक्त शिव कुमार शर्मा द्वारा न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि मामले के वादी व विवेचक को न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 26–07–2023 के अनुक्रम से उन्हें जरिये गैर जमानतीय आदेशिका साक्ष्य हेतु आहूत किया जाए। जबकि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली पर अभियुक्तों पर आरोप विरचित नहीं हुआ है तथा मामले में के अभियुक्त अनीता शर्मा के बावत वाद की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–482 द0 प्र0 सं0 संख्या–15300/2021 अनीता शर्मा बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 10–02–2022** से मामले की लिस्टिंग की तिथि तक वाद की कार्यवाही को स्थगित होने तथा दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या–27102/2017 अशोक कुमार व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 07–12–2017 में याचिकाकर्तागण के विरूद्ध उत्पीड़नात्मक कार्यवाही से निषेधित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–482 द0 प्र0 सं0 संख्या–23235/2022 सनी उर्फ प्रवीन शर्मा बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 15–12–2022 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अंतरिम आदेश के प्रभावी होने पर उसे लिस्टिंग की तिथि तक प्रभावी किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित उपरोक्त मामलों को निस्तारित हो चुके होने या अन्य कोई अग्रेतर आदेश की कोई प्रतिलिपि न, तो पत्रावली पर संलग्न है और न, ही अभियुक्तों पर आरोप विरचित हुआ है। ऐसी दशा में अभियुक्त शिव कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का कोई विधिक आधार न होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

तदनुसार पत्रावली वास्ते इंतजार नतीजा/अग्रिम आदेश दिनांक 05–10–2024 को पेश हो।

(संजय कुमार यादव–प्रथम)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (गैगस्टर एक्ट),
कक्ष संख्या–04, अलीगढ

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2024.08.21 17:40:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court